कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 /

दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, बाढ

महाशय,

नगर परिषद, बाढ के वर्ष 2012–13 से 13–14 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 736 / 14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

– ह0 –
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 14487 / 2242 दिनांक– 27.02.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर परिषद् बाढ
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–736/14–15
(अवधि– 2012–13 से 2013–14)

भाग–I

1. प्रस्तावना

(i)	कार्यालय का नाम	नगर परिषद् बाढ
(ii)	निरीक्षण का वर्ष	वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14
(iii)	लेखापरीक्षा की अवधि	14.08.2014 से 28.08.2014
(iv)	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	(i) विश्वपति सिंह, स0ले0प0अ0 (ii) चितरंजन कुमार, स0ले0प0अ0 (iii) चन्दन पासवान, ले0प0 (iv) राकेश कुमार सिंह, ले0प0
(v)	निरीक्षण पदाधिकारी का नाम	श्री शंभू प्रसाद गुप्ता, व0ले0प0अ0
(vi)	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया?	हाँ, दिनांक 28.08.2014 को लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

2. प्रशासन

1. कार्यपालक पदाधिकारी का नाम

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री निर्मल कुमार	01.04.12 से 27.08.12
2	श्री सिद्धनाथ सिंह	27.08.12 से 16.10.12
3	मो0 मुजफ्फर अहमद बुलंद अख्तर	16.10.12 से 31.03.14

2. अध्यक्ष का नाम

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती शकुंतला देवी	1.4.12 से 31.03.14

3. उपाध्यक्ष का नाम

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	01.01.12 से 31.03.14

3. लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र– परिशिष्ट–I और II पर संलग्न

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा दल द्वारा बार– बार अनुराध करने के बावजूद भी पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन तैयार कर अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण लंबित कंडिकाओं का अनुपालन नहीं किया जा सका फलस्वरूप लेखापरीक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

5. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसे– मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख– रेख तथा निकाय निधि में सही समय पर जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेगें। पूर्ववत्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशानिर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

6. लेखापरीक्षा का परिणाम

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि– शून्य
2. अंकेक्षण के दौरान वसूली हेतु सुझाई गयी राशि– ₹1420139.00
3. अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि– ₹13274179.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– X पर)

7. बजट प्राक्कलन

बिहार नगर अधिनियम 2007 की धारा 82 से 84 के अनुसार नगर आयुक्त नगर निकाय का बजट प्राक्कलन प्रत्येक साल के 15 फरवरी को तैयार करेगा एवं वह उसी साल के 15 मार्च तक सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जायगा, जिसे सामान्य बैठक स्वीकार करेगी। बजट को स्वीकार करने के बाद बजट की प्रति राज्य सरकार को भेजा जाता है जिसे राज्य सरकार उसे उसी साल के 31 मार्च को नगर निकाय को वापस कर देगी।

बजट प्राक्कलन संचिका के अनुसार बजट तैयार किये जाने एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किये जाने की तिथि इस प्रकार है।

क0सं0	विवरणी	दिनांक	
		2012–13	2013–14
1.	सशक्त स्थायी समिति के विचारार्थ रखे जाने की तिथि	10.2.12	8.3.13
2.	नगर निगम द्वारा बजट पारित करने की तिथि	31.3.12	20.3.13
3	पारित बजट को सरकार को प्रेषित किये जाने की तिथि	12.4.12	2.4.13

नगर परिषद, बाढ़ द्वारा वार्षिक लेखों का संधारण नहीं किया गया था, फलस्वरूप बजट प्राक्कलन का शीर्षवार आय– व्यय की तुलना नहीं की जा सकी।

नगर परिषद् बाढ़ द्वारा 2012–13 से 2013–14 के बजट की प्रति अंकेक्षण दल को उपलब्ध करायी गयी। बजट की प्रति के अवलोकन से यह पता चला कि बजट के दर्शाए गए आय एवं व्यय की राशि रोकड़ बही में उस साल प्राप्त वास्तविक राशि से काफी भिन्न है। विवरणी इस प्रकार है–

क0सं0	मद	2012–13	2013–14	कुल	वास्तविक	अन्तर
1.	कुल आय	1118794622.50	112089929.00	1230884551.50	9969926.00	–1220914625.50
2.	कुल व्यय	1138018352.50	1127889581.00	2265907933.5	61139738.00	–2204768195.50

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बनाया गया बजट एवं वास्तविक आय एवं व्यय में काफी अन्तर है अतः बनाया गया बजट वास्तविकता से परे है तथा 2012–14 का बजट वास्तविकता को घ्यान में रखे बिना तैयार किया गया था। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से यह अनुरोध है कि वास्तविक आय एवं व्यय को ध्यान में रखकर ही भविष्य में बजट बनाया जाये एवं अगले अंकेक्षण दल के समक्ष वास्तविक बजट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8(1) वित्तीय अधिदृश्य

कार्यालय नगर परिषद् बाढ़ में सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वंय के स्त्रोंत से प्राप्त आय से वित्तपोषित होती है वर्ष 2012–13 से 2013–14 तक के आय- व्यय विवरणी का सार इस प्रकार है–

प्रारम्भिक शेष	67377373.50
वर्ष की कुल प्राप्ति	99699926.00
कुल प्राप्त राशि	167077299.50
योजना पर व्यय	19290317.00
स्थापना एवं अन्य व्यय	41849421.00
कुल व्यय	61139738.00
अंतशेष	105937561.50

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IX पर संलग्न)

8(2) रोकड़ बही की त्रुटियॉ

कार्यालय नगर परिषद, बाढ़ के रोकड़ बही के जॉच के क्रम में पाया गया कि लेखापाल बही का वर्ष 2012–13 का प्रारंभिक शेष ₹58246362.50 था जबकि पूर्व के निरीक्षण में 2011–12 का अंतशेष ₹57773926 था। चूँकि 2011–12 का अंतशेष ही 2012–13 का प्रारंभिक शेष होना चाहिए तो किस कारण प्रारंभिक शेष (2012–13) की राशि ₹472436.50 बढ़ा कर ली गयी। वर्ष 2012–13 से नये लेखापाल रोकड़ बही का संधारण किया जा रहा था। राशि में आये अन्तर की जॉच हेतु पूर्व की यानि 2010–11 तक की लेखापाल रोकड़ बही की मॉग की गयी मगर अंकेक्षण की समाप्ति तक दल को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस मामले की स्वयं जांच कर जाचं के फलाफल से कार्यालय को अवगत कराये।

भाग–II (क) शून्य

भाग–II (ख)

कंडिका संख्या– 1 सैरातों के विभागीय वसूली की जमा राशि का प्रमाण नहीं– ₹10.43 लाख

कार्यालय नगर परिषद, बाढ के वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 के सैरातों से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2012–13 में अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 हेतु दिनांक 12.03.2012 को बंदोबस्ती सूचना प्रकाशित की गयी थी जिसमें मात्र चार सैरातों की बंदोबस्ती की सूचना थी। विवरणी निम्न है–

क्र0सं0	सैरातों का ब्यौरा	न्यूनतम बोली
1	बस स्टैंड एवं टेम्पू स्टैंड	5,63,000
2	विसुआ मेला, कार्तिक मेला, माघी पूर्णिमा मेला, एकदिनी	2,25,000
3	विसुआ मेला, कार्तिक मेला, माघी पूर्णिमा मेला को छोड़कर अन्य दिनों के लिये	70,000
4	बाजार एवं स्टेशन से चलने वाली मैजिक/टेम्पू	60,000
	कुल	9,18,000

निर्धारित तिथियों पर बंदोबस्ती हेतु कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुए अतः सशक्त स्थायी समिति ने 30.06.12 को सभी सैरातों की बंदोबस्ती का निर्णय सर्व सम्मति से लिया। इस आलोक में पुनः दिनांक 19.07.2012 को अवधि 1 अगस्त 2012 से 31 मार्च 2013 हेतु बंदोबस्ती सूचना निकाली गई और सैरातों की बंदोबस्ती की गयी। संचिका के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 1.04.2012 से 30.07.2012 तक विभागीय वसूली की गयी मगर अंकेक्षण दल द्वारा अनुरोध करने के बावजूद भी कार्यालय द्वारा विभागीय वसूली से संबंधित रसीद, पंजी आदि लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप यह नहीं पता लगाया जा सका कि विभागीय वसूली के रूप में कितनी राशि वसूल की गयी एवं कितनी जमा की गयी। परंतु न्युनतम राशि का आधार मानते हुए 4 माह में ₹306000 (918000 X 4/12)। ठीक उसी प्रकार वर्ष 2013–14 मे 12 सैरातों का बंदोबस्ती सूचना 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 हेतु निकाली गयी। कुल 12 सैरातों के न्यूनतम बोली का कुल योग ₹1103968 हुआ जिसमें मात्र 5 सैरातों की बंदोबस्ती 01.08.2013 से 31.03.2014 हेतु की गयी जिसकी विवरणी निम्न है–

क्र0सं0	सैरातों का ब्यौरा	न्यूनतम बोली
1	बाजार एवं स्टेशन से चलने वाली मैजिक टेम्पू बंदोबस्ती	82500
2	माघी पूर्णिमा मेला एवं फेरी घाट	150000
3	कार्तिक पूर्णिमा मेला एकदिनी	40000
4	विसुआ मेला कार्तिक मेला माघी पूर्णिमा मेला को छोड़कर अन्य दिनों के लिये	45100
5	रिक्शा, ठेला, टमटम, टिन टोकन	49610
	कुल	367210

अतः 8 माह के लिये उपर्युक्त सैरातों की शेष राशि ₹736758 की बंदोबस्ती का कोई प्रमाण संचिका में नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार न्यूनतम राशि को आधार मानते हुए राशि ₹736758 की हानि हुई।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

इस पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट पता चलता है कि सैरातों की विभागीय वसूली का उचित पर्यवेक्षण अधिकारी स्तर से नहीं किया गया जिससे वसूली मे पारदर्शिता का घोर अभाव पाया गया एवं कर्मियों को सरकारी राजस्व को मनमाने ढंग से लुटने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया जिसके फलस्वरुप बाढ़ नगर परिषद् को वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2013–14 में भारी सरकारी राजस्व ₹1042758 (306000+ 736758) की हानि उठानी पड़ी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि इस पुरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं विस्तृत जांच की जाए एवं जांच के फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका संख्या–2 सड़कों पर रौशनी के अन्तर्गत 85 वॉट का सी.एफ.एल. भेपर लैम्प (₹2.43 लाख)

अंकेक्षण के दौरान सड़कों पर रौशनी के अन्तर्गत 85 वॉट का सी.एफ.एल. भेपर लैम्प से संबंधित संचिका के अवलोकन के पश्चात निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए।

(1) 29.5.13 को सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं0 अन्यायन–1 एवं 2 में लिए गए निर्णय के आलोक में बाढ़ नगर परिषद् के सभी वार्डो में 85 वॉट का सी.एफ.एल. सोडियम भेपर लैम्प लगाने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा सं0 8/13–14, पत्रांक सं0– 608/8.10.13। निविदा 12.10.13 की तिथि में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित की गयी।

(2) उक्त निविदा के आलोक में 04 (चार) निविदादाताओं ने तकनीकी एवं वित्तीय निविदा डाली तथा एक निविदादाता सुन्दरम् इन्टरप्राईजेज ने सिर्फ एक पेज का कोटेशन समर्पित किया जिसमें कोई तिथि एवं पत्रांक अंकित नहीं पायी गयी।

(3) तुलनात्मक विवरणी तैयार की गयी एवं उसके आधार पर निम्न निविदादाता सुन्दरम इन्टरप्राईजेज, सविता सिनेमा हॉल के सामने, बाढ़ का चयन ₹705.00 प्रति पीस पर किया गया।

(4) तुलनात्मक विवरणी शीट पर मुख्य पार्षद, सशक्त स्थायी समिति के दो सदस्य एवं कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर पाया गया।

(6) पत्र सं0–638/28.10.13 की तिथि में आपूर्तिकर्त्ता को 304 पीस 85 वॉट सी.एफ.एल. आपूर्ति करने का आदेश प्रति पीस ₹704.00 (सभी कर अलग से) निर्गत किया गया।

(7) तत्पश्चात चयनित आपूर्तिकर्त्ता ने 16.11.13 की तिथि में 304 पीस सी.एफ.एल. बाढ़ नगर परिषद को उपलब्ध करवाया जिसे बाढ, नगर परिषद के स्टॉक पंजी में संबंधित व्यक्ति द्वारा हस्तगत किया गया।

(9) आपूर्तिकर्त्ता द्वारा 304 पीस का प्रति पीस ₹705.00 के हिसाब से ₹214320.00 एवं वैट की राशि 13.5% को जोड़कर कुल ₹243253.00 का बिल समर्पित किया गया, जिसे बाढ़ नगर परिषद् द्वारा चेक सं0 935083 दिनांक 07.12.13 से राशि ₹243253.00 का भुगतान किया गया।

220

अंकेक्षण आपत्ति

(1) निविदा आमंत्रण हेतु निर्गत ज्ञापांक सं0–8/13–14 की शर्त–1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि निविदा में कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ही निविदा में भाग ले सकते है जबकि संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि चयनित आपूर्तिकर्त्ता सुन्दरम् इन्टरप्राईजेज एच0पी0एल0 कम्पनी का प्राधिकृत ऐजंसी नही था।

(2) तकनीकी निविदा 28.10.2013 को मुख्य पार्षद, सशक्त स्थायी समिति के दो सदस्य एवं कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में खोला गया, उस क्रय समिति में एक भी तकनीकी व्यक्ति उपस्थित नही था, बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 जेडएफ के अनुसार तकनीकी निविदा पर विचार के समय किसी तकनीकी व्यक्ति का उपस्थिति अनिवार्य है, जिसका इस प्रक्रिया में घोर अभाव पाया गया।

(3) चयनित आपूर्तिकर्त्ता सुन्दरम् इन्टरप्राईजेज ने सिर्फ एक पेज का कोटेशन समर्पित किया जिसमें कोई तिथि एवं पत्रांक संख्या अंकित नहीं पायी गयी। समर्पित प्रपत्र में सी.एफ.एल. बल्ब के तकनीकी विवरणी नही पाये गये, (Technical Specification design set, Broueture of set, Consuption of Electricity of each bulb etc.) इस परिस्थिति में इसे तकनीकी निविदा नही माना जा सकता है।

(4) बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं0 4/05/2009/खंड–8672/वि0/2/पटना दिनांक 11.9.2009 के अनुसार सभी नगर निकायों में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओ की आपूर्ति की दर एवं गुणवत्ता में एकरुपता लाने के लिए बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अतंगर्त राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामाग्रियों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है को अपनाकर ही सामान खरीदारी करना है, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि सामान खरीदने का निणर्य लेने से पहले एवं सामान की खरीदारी के बाद भी उपर्युक्त आदेश का पालन नहीं किया गया।

(5) आपूर्ति किए गए बल्ब का अधिष्ठापन कहॉ किया गया, किया गया या नहीं, कोई सूची, स्थान का नाम, इस संबध में कोई विवरणी संचिका में उपलब्ध नहीं पायी गयी।

(6) बाढ़ नगर परिषद के पास ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह पता चल सके कि पूरे परिषद् क्षेत्र में कितने बिजली के खंभे है ऐसी स्थिति में बाढ़ नगर परिषद ने किस आधार पर यह निर्णय लिया कि 304 बल्ब की आवश्यकता 27 वार्डो मे है। इस तरह की कोई भी सूचना/ तथ्य प्रस्तुत संचिका में उपलब्ध नहीं पायी गयी।

(7) आपूर्ति किये गये बल्ब को भंडार पंजी में हस्तगत किया गया या नहीं संचिका से पता नहीं चल सका एवं भंडार पंजी अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

(8) बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Perfomance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05–10 प्रतिशत की राशि Security deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है , ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit

की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि न तो काटी गयी और न ही कार्यपालक पदाधिकारी स्तर से इस बिन्दू पर कोई टिप्पणी संचिका में दृष्टिगोचर हुई।

(9) वित्तीय औचित्य के अनुसार सरकारी राशि के खर्च करते समय सरकारी कर्मचारी को उतनी ही सावधानियॉ बरतनी चाहिए, जितनी वह अपने धन को खर्च करते समय बरतता है, एवं उसे वित्तीय औचित्य के उॅचे स्तर का पालन करना चाहिए, परन्तु इन सारी प्रक्रियाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहॉ वित्तीय औचित्य के उॅचे स्तर का पालन नहीं किया गया।

(10) सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस निविदादाता के निविदा का चयन किया गया,उसका तकनीकी एवं वित्तीय निविदा एक ही पेज में ही था और उसपर न तो तिथि अंकित पायी गयी और न ही पत्रांक संख्या। तो क्यों और किस आधार पर उसका चयन किया गया। निविदादाता ने निविदा निर्धारित तिथि के अन्दर दी या नहीं कहा नहीं जा सकता।

(11) बल्ब के खरीदने का निर्णय लेने से पहले या खरीदने के बाद बल्ब के अधिष्ठापन से उत्पन्न बिजली बिल एवं उससे उत्पन्न consumption of electrity के संबध में बिजली विभाग से संपर्क किया गया या नहीं संचिका से पता नहीं चल सका। अगर संपर्क किया गया होगा तो दल के समक्ष स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया

इस पूरे प्रकरण को देखने से यह पता चलता है कि बल्ब खरीदा ही नहीं गया हैं सिर्फ कागज पर हीं सामान की खरीदारी दिखायी गयी है एवं राशि सरकारी खजाने से आहरित की गयी।

अतः स्पष्ट जवाब प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि ₹243253/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या–3 बाढ नगर परिषद में नाली उड़ाही का कार्य

बाढ़ नगर परिषद् में नाली उड़ाही से संबधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए–

1. नगर परिषद् बोर्ड की बैठक तिथि 12.06.13 के प्रस्ताव सं0 2 एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक तिथि 29.05.13 के प्रस्ताव सं0 03 में बाढ़ क्षेत्रान्तर्गत भी 27 बार्डो में सफाई कराने का निर्णय लिया गया।
2. तत्पश्चात् पत्रांक सं0 380 दिनांक 20.6.13 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी जिसे स्थानीय स्तर पर निकाला गया। जिसकी निविदा सं0 3/13–14 थी।
3. दो निविदादाता ने निविदा डाली जिसका तुलनात्मक विवरणी तैयार किया गया एवं दोनो निविदादाता के दर समान होने के कारण श्री चन्द्रभूषण कुमार एवं श्री सुरेन्द्र कुमार चौबे का चयन किया गया।
4. दोनो निविदादाताओं एवं बाढ़ नगर परिषद् के बीच तिथि 26.06.13 को एकरारनामा किया गया एवं पत्रांक 391/26.06.13 की तिथि में कार्यादेश निकाला गया।

5. दोनो निविदादाता द्वारा कार्य निर्धारित समय के अन्दर किया गया एवं राशि 815500/– का बिल समर्पित किया गया जिसका भुगतान चेक सं0 935077 तिथि 23.08.13 से राशि ₹532575.00 एवं चेक सं0 935076 दिनांक 23.08.12 से राशि ₹282925.00 अथार्त कुल ₹815500/– का भुगतान किया गया।
6. कार्य एकरारनामा के अनुसार करने का प्रमाण पत्र मो0 इसराइल मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा दिया गया।

अंकेक्षण आपत्ति–

1. दोनों निविदादाताओं द्वारा समर्पित अभिश्रवों में कोई तिथि अंकित नहीं पायी गयी, जिसके अभाव में यह कहना मुश्किल है कि कार्य कब शुरू किया गया एवं कब खत्म किया गया।
2. मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा निष्पादित कार्य का प्रमाणपत्र में भी कोई तिथि अंकित नहीं पायी गयी। जब अभिश्रवो में तिथि का अभाव था तो मुख्य सफाई निरीक्षक ने किस आधार पर यह निर्णय लिया कि कार्य एकरारनामा के अनुसार एवं सम्पूर्ण संतुष्टि तक किया गया। इस परिस्थिति में इनके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संदिग्ध प्रतीत होता है।
3. कार्य संवेदको द्वारा किया गया था, जिसका प्रमाणपत्र कार्यालय स्तर से निरीक्षक द्वारा दिया गया, परन्तु किसी भी स्तर पर वार्ड पार्षदों द्वारा प्रमाणपत्र नहीं लिया गया।
   लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।
   अतः स्पष्ट जवाब प्राप्त होने तक व्यय की गयी राशि ₹815500/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका– 4 मिनी हाई मॉस्ट लाइट खरीद के संबध में

1. नगर परिषद् बाढ़ की सामान्य बैठक तिथि 28.06.12 को हुई जिसके प्रस्ताव संख्या–3 में मिनी हाई मॉस्ट लाइट को खरीदने एवं उसे 16 स्थानों पर लगाने का निर्णय लिया गया।
2. तत्पश्चात 19.07.12 की तिथि में दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में निविदा (निविदा आमंत्रण सं0 3/12–13) निकाली गयी, तथा दो निविदादाता एवं सशक्त स्थायी समिति कीं उपस्थिति में दिनांक 02.08.12 को निविदा खोली गयी।
3. तकनीकी निविदा पर विचारोपरान्त वित्तीय निविदा पर विचार किया गया एवं तुलनात्मक विवरणी के आधार पर निम्न निविदादाता कामना इन्टरप्राईजेज, अशोक राजपथ, पटना को मिनी हाई मॉस्ट लाइट के अधिष्ठापन के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। (कार्यालय पत्रांक सं0 341/02.08.12)
4. बाढ़ नगर परिषद् एवं कामना इन्टरप्राईजेज के बीच दिनांक 08.08.12 को एकरारनामा किया गया।

5. आपुर्तिकर्ता ने निर्देशित आठ स्थानों पर मिनी हाई मॉस्ट लाइट 27.09.12 को लगा दिया जिसकी जांच कनीय अभियंता ने दिनांक 19.11.12 को किया और पाया कि सभी लाइट ठीक तरीके से काम कर रहे थे।
6. आपूर्ति के आलोक में चेक सं0 847879 दिनांक 03.12.12 राशि ₹1872000/– का भुगतान किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति

1. सामान कामना इंटरप्राइजेज अशोक राजपथ पटना से खरीदा गया । अतः बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि मिनी हाई मॉस्ट लाईट की खरीद में ऐसा नहीं किया गया एवं पूर्ण राशि ₹1872000/– का भुगतान किया गया। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि वैट की राशि के रूप में राशि 18555/– (13.5 प्रतिशत) की कटौती नहीं की गयी, फलस्वरूप राशि ₹18555/–का अधिक भुगतान किया गया।

2. बिहार सरकार वित्त विभाग के संकल्प सं0 4/05/2009/खंड–8672/वि0/2/पटना दिनांक 11.09.2009 का पालन किया गया है या नहीं जिसके अनुसार सभी नगर निकायों में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्ति की दर एवं गुणवत्ता में एकरुपता लाने के लिए बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम 129 के अतंर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों के लिए उपयोग में आने वाली सामाग्रियों एवं सेवाओं के दर निर्धारण एवं अधिप्राप्ति हेतु राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है को अपनाकर ही सामान की खरीदारी की गयी थी अथवा नहीं। संचिका के अवलोकन से पता नहीं चल सका।

3. निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 3/12–13 के शर्त संख्या–1 में स्पष्ट लिखा है कि सामानो के प्राधिकृत विक्रेता ही भाग ले सकते है, परन्तु संचिका में संलग्न प्रपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कामना इन्टरप्राईजेज मिनी हाई मॉस्ट लाईट का प्राधिकृत विक्रेता नहीं था, तो क्यों एवं किस परिस्थिति में कामना इन्टरप्राईजेज को उपर्युक्त सामान की आपूर्ति के लिए चयन किया गया।

4. अंकेक्षण दल को यह अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं बताया गया कि प्राप्त सामानों को भंडार पंजी में हस्तगत किया गया है एव भंडार पंजी दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः स्पष्ट जवाब प्राप्त होने तक राशि ₹1853445/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है एवं अधिक व्यय की गयी राशि ₹18555/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका संख्या–5 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न0स0 1-103/87-1231/नगर विकास विभाग दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी थी ।

216

परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अनुसार नगर परिषद् बाढ़ में 2012-13 & 2013-14 के दौरान ₹3970752/– दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया। जो कि सरकार के निर्देशों के विरुद्ध एवं अप्राधिकृत है। (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर संलग्न)।

बिहार सरकार के आदेशों के बावजूद दैनिक मजदूरों से कार्य करवाया गया एवं भुगतान के पहले या बाद में बिहार सरकार से आदेश नहीं लिया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः दैनिक मजदूरों पर किया गया व्यय अनियमित है, फलस्वरूप व्यय की गयी राशि ₹3970752/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्या–6 ट्रेक्टर एवं जे.सी.बी. मशीन के खरीद के संबध में

1. नगर परिषद, बाढ़ की सामान्य बैठक तिथि 07.11.12 को हुई जिसके प्रस्ताव संख्या–8 में ठोस अवशिष्ट प्रबंधन मद से ट्रैक्टर एवं जेसीबी मशीन को खरीदने का निर्णय लिया गया।
2. तत्पश्चात् 17.01.13 की तिथि में दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में निविदा निकाली गयी, तथा प्रत्येक के लिए दो दो निविदादाता ने निविदा डाली।
3. तकनीकी निविदा पर विचारोपरान्त वित्तीय निविदा पर विचार किया गया, निविदा पर विचार मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, निविदादाता एवं कार्यपालक पदाधिकारी की उपस्थिति में खोला गया एवं तुलनात्मक विवरणी के आधार पर निम्न निविदादाता 1. श्री गणेश इन्टरप्राईजेज बख्तियारपुर– ट्रैक्टर के लिए 2. पाटलीपुत्रा इक्युपमेंट,पटना– जेसीबी के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया। (कार्यालय पत्रांक सं0 67 एवं 68 दिनांक 19.02.13)
4. बाढ़ नगर परिषद् एवं श्री गणेश इन्टरप्राईजेज बख्तियारपुर– ट्रैक्टर के लिए 2. पाटलीपुत्रा इक्युपमेंट, पटना– जेसीबी के लिए तिथि 18.2.13 को एकरारनामा किया गया।
5. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति 23.02.13 को की गयी।
6. आपूर्ति के आलोक में राशि का भुगतान किया गया।

विवरणी इस प्रकार है–

क0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	सामान का, नाम
1.	080109	12.3.13	311220/–	ट्रैक्टर
2.	080110	12.3.13	1570000/–	जेसीबी

अंकेक्षण आपत्ति

1. बिहार वैट अधिनियम की धारा 40(1) के अनुसार सामानों की राशि का अंतिम भुगतान करते समय वैट की राशि नियमानुसार कटौती करके ही अंतिम भुगतान करना चाहिए, परन्तु संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि ट्रैक्टर एवं जे.सी.बी. मशीन की खरीद में ऐसा नहीं किया गया